कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, (एफ0आई0यू0), अनुरक्षण खण्ड, उत्तराखण्ड जल संस्थान,
लेन नं0 01, तरूण विहार, मोथरोवाला रोड, देहरादून–248001
दूरभाष / फैक्स 0135.2671940
Email-eemdwb@gmail.com

पत्रांक : 226 / गुमानीवाला पैरी अरबन / 2021–22 दिनाँक : 24-08-2021

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी
देहरादून वन प्रभाग, देहरादून।

विषयः– **जनपद देहरादून के विकासखण्ड डोईवाला के अन्तर्गत विश्व बैंक पोषित अर्द्धनगरीय (पैरी अरबन) पेयजल योजना, गुमानीवाला के निर्माण हेतु 0.25 है0 वन भूमि का उत्तराखण्ड जल संस्थान, गुमानीवाला को हस्तान्तरण। (ऑन लाईन प्रस्ताव संख्या** FP/UK/WATER/124331/2021).

सन्दर्भः सचिव (प्रभारी), उत्तराखण्ड शासन का पत्र 678/X-3-21/2(16)/2021 दिनाँक 13.07.2021

महोदय,

कृप्या उपरोक्त विषयक उत्तराखण्ड शासन द्वारा सन्दर्भित पत्र का सन्दर्भ ग्रहण करें। जो अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी देहरादून को सम्बोधित है, जिसकी प्रति आपके कार्यालय व अन्य विभागों सहित इस कार्यालय को भी प्रेषित है। सन्दर्भित पत्र के द्वारा वन भूमि प्रकरण में विभिन्न अधिरोपित शर्तों / प्रतिबन्धों के अधीन सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गयी है। निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति पत्र में अधिरोपित शर्तों की अनुपालन आख्या निम्न प्रकार है :–

1. शर्त संख्या–1 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल के आस–पास रिक्त पड़े स्थानों पर यथोचित वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव हेतु वांछित धनराशि रू0 82460.00 (वर्तमान दरों को समाहित करते हुए) वन विभाग के पक्ष में RTGS (संलग्न) के माध्यम से जमा कर दी गयी है।
2. शर्त संख्या–2 के अनुपालन में भारत सरकार के पत्र दिनाँक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) की निर्धारित धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा रू0 182500.00 RTGS के माध्यम से वन विभाग के पक्ष में जमा कर दी गयी है।
3. शर्त संख्या–3 के अनुपालन में सूचित करना है कि भविष्य में शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0 की दरों में यदि बढ़ोतरी होती है और सक्षम / उच्च स्तर से एन0पी0वी0 की बढ़ी हुई दरों पर धनराशि की माँग सृजित की जाती है, तो प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा एन0पी0वी0 की बढ़ी हुई धनराशि वन विभाग के पक्ष मे जमा कर दी जायेगी। इस आशय की वचन बद्धता से सम्बन्धित प्रमाण पत्र संलग्न है।
4. शर्त स0–4 के अनुपालन एवं भारत सरकार पत्र सं0 5–3 / 2007–एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) तथा दूसरी सभी निधियां प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबंधन तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ निकाय कोर्पोरेशन बैंक, (भारत सरकार का उपक्रम) ब्लॉक–11 भूतल सी0जी0ओ0 कॉम्पलेक्स फेस–1, लोधी रोड, नई दिल्ली–110003 के पक्ष में जमा कर दी गई है।

5. शर्त संख्या–5 के अनुपालन में जनपद कार्यबल की संस्तुतियों एवं भू–वैज्ञानिक के सुझावों का कडाई से अनुपालन किया जायेगा, सुझावों का अनुपालन किये जाने सम्बन्धित प्रमाण पत्र संलग्न है।
6. शर्त संख्या–6 के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत आवश्यक अभिलेखों/ प्रमाण पत्रों की छायाप्रतियाँ हार्ड कॉपियों में व ऑनलाईन अपलोड करते हुए पूर्व में ही आपके विभाग में उच्च–स्तर को प्रेषित है (छायाप्रतियाँ संलग्न)।
7. शर्त संख्या–7 के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा निहित किसी भी निर्धारित शर्त का अनुपालन नहीं होने अथवा असंतोषजनक अनुपालन नहीं होने की स्थिति में राज्य सरकार, पर्यावरण एवं वन विभाग द्वारा स्वीकृति को निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है।
8. शर्त संख्या–8 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण पूर्वविर्दिष्ट स्थलों पर इस प्रकार मलवे का निस्तारण करेगा कि वह अनावयक रूप से तय सीमा से नीचे न गिरे। राज्य के वन विभाग के पर्यवेक्षण में तथा परियोजना की लागत पर, प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपयुक्त प्रजातियों के पौधे लगाकर मलवा निस्तारण क्षेत्र को स्थिर एवं पुनर्जीवित करने का कार्य किया जायेगा। मलवे को यथा स्थान रखने हेतु दीवारें बनाई जायेंगी। निस्ताण स्थलों को राज्य के वन विभाग को सौपने से पूर्व, इनका स्थिरीकरण एवं सुधार कार्य योजनानुसार समयबद्ध तरीके से पूरा से पूरा किया जायेगा। मलवा निस्तारण क्षेत्र में वृक्षों की कटाई की अनुमति नहीं होगी।
9. शर्त संख्या–9 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वन भूमि पेड़ों की कटाई को न्यूनतम कर देगा, जिनकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार दिये गये वृक्षों की संख्या से अधिक नहीं होगी एवं पेड़ राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में कटेंगे। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के पास पेड़ों की कटाई की लागत जमा की जायेगी।

अतः महोदय, उक्त बिन्दुवार अनुपालान आख्या सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक विभागीय कार्यवाही हेतु प्रेषित।

संलग्न उपरोक्तानुसार :–

भवदीय

(प्रशांत भारद्वाज)
अधिशासी अभियन्ता (एफ0आई0यू0)

पृ0 सं0 एवं दिनाँक तदैवः –

1. अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षण, इन्दिरा नगर, फॉरेस्ट कालोनी, देहरादून।
2. सहायक अभियन्ता/अपर सहायक अभियन्ता (एफ0आई0यू0), उत्तराखण्ड जल संस्थान, गुमानीवाला को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि सम्बंधित विभाग से समन्वय स्थापित कर भूमि हस्तान्तरण की कार्यवाही यथाशीघ्र पूर्ण करवाना सुनिश्चित करें।

अधिशासी अभियन्ता (एफ0आई0यू0)

AGENCY COPY

यूनियन बैंक Union Bank of India

NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds

Date : 16-08-2021

Agency Name.	UTTARAKHAND JAL SANSTHAN RISHIKESH
Application No.	53124331000
MoEF/SG File No.	2(16)/2021
Location.	UTTARANCHAL
Address.	Mothrowala DehradunDehradun
Amount(in Rs)	411360/-

Amount in Words Four Lakh Eleven Thousand Three Hundred and Sixty Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	UTTARANCHAL CAMPA
IFSC Code:	UBIN0903710
Pay to Account No.	1508953124331000 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Union Bank Of India Lodhi Complex Branch, Block 11,CGO Complex, Phase I, Lodhi Road, New Delhi -110003

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

After making successful payment, User Agencies ma
Email: helpdeskcampa@corpbank.co.in

Note:**After making the required payment through cha even after 7 working days, then kindly mail a copy o Email: cb0371@unionbankofindia.com**

Executive Engineer (F.I.U.)
Maintenance Division
Uttarakhand Jal Sansthan
Dehradun

Union Bank of India

17/08/2021